19/2/19

पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ, मुण्डा[illegible]
स्थगन किए जाने का ज्ञापन दिया है।
आ[illegible]नुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दि[illegible] 16.4.19
को पेश हो।

रीडर

16/4/19 आज पत्रावली पेश। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज
अग्रिम जमानत अर्जी में पारित की जा चुकी है लेकिन
तिथि के कारण पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह
गया है। अतः यह पत्रावली की औपचारिक कार्यवाही डिस
कर अग्रिम जमानत अर्जी में पारित की जाती
है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त
किये जाते हैं। फैसला सुनाया गया। मूल दावा
हेतु। वादी वकील ने लाया मूल दावा
पत्रावली रहे। सुनाया गया